सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1936 (श०)

संख्या 422 राँची ,मंगलवार

2 सितम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर, 2014

संख्या-05/लि0से0-22-61/2012 का.- 8789--झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्ति प्राधिकार उक्त नियम के अधीन पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-13755 दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

(1) अधिसूचना संख्या-13755 दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 की प्रथम कंडिका जो निम्नवत् है - ''झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आलोक में उच्च वर्गीय लिपिकों के प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा के लिए नियुक्त प्राधिकार निम्नलिखित विनियम बनाते हैं'' के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है - **''झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आलोक में लिपिकीय सेवा के कर्मियों के प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा के लिए नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित विनियम बनाते हैं''।**

(2) अधिसूचना संख्या-13755 दिनांक 15 दिसम्बर, 2012 की विभागीय परीक्षा की कंडिका के क्रमांक-1 का प्रावधान जो निम्नवत् है - ''निम्नवर्गीय लिपिकों एवं उच्चवर्गीय लिपिकों के लिए राजस्व पर्षद् द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी'' के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है - **''निम्नवर्गीय लिपिकों (नियमावली के प्रवृत होने के पश्चात सेवा में नियुक्त) के लिए राजस्व पर्षद् द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी।''**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस0के0 शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 422–50 ।